



मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल-462 011

Tel. No.: (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail: ceomprda@gmail.com

क्रमांक: 13845 / 22 / वि-12 / UPG / 1255 (4)

भोपाल, दिनांक 27.06.18

प्रति,

महाप्रबंधक-समस्त,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
.....(म.प्र.)

विषय:- भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त मार्गों के सुदृणीकरण प्रस्ताव को प्रेषित करने के पूर्व मुख्य महाप्रबंधकों के संयुक्त निरीक्षण करने बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 13044/22/वि-12/ ग्रा.स.प्रा./ टी-5/ RPS/12 भोपाल दिनांक 17.09.2012

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा योजनांतर्गत निर्मित मार्गों की कस्ट उन्नयन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें उल्लेखित है कि Within 5 Year के अतर्गत संधारित वह मार्ग जिनकी पूर्णता दिनांक के उपरांत चार वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है एवं भारी वाहनों के परिवहन के कारण कस्ट उन्नयन किया जाना आवश्यक है। ऐसे मार्गों को क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एवं एक अन्य मुख्य महाप्रबंधक द्वारा संयुक्त निरीक्षण के उपरांत की गई अनुशंसा के पश्चात् ही प्रकरण मुख्यालय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः उपरोक्त कार्यवाही की स्थायी व्यवस्था के तहत संयुक्त निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एवं एक अन्य मुख्य महाप्रबंधक के संयुक्त दल का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

क्र.	संभाग	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक	अन्य मुख्य महाप्रबंधक
1/2	भोपाल / नर्मदापुरम	मुख्य महाप्रबंधक भोपाल / नर्मदापुरम	मुख्य महाप्रबंधक ग्वालियर
3	सागर	मुख्य महाप्रबंधक सागर	मुख्य महाप्रबंधक रीवा
4	उज्जैन	मुख्य महाप्रबंधक उज्जैन	मुख्य महाप्रबंधक भोपाल
5	इन्दौर	मुख्य महाप्रबंधक इन्दौर	मुख्य महाप्रबंधक उज्जैन
6	ग्वालियर	मुख्य महाप्रबंधक ग्वालियर	मुख्य महाप्रबंधक सागर
7	रीवा	मुख्य महाप्रबंधक रीवा	मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर
8	जबलपुर	मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर	मुख्य महाप्रबंधक इन्दौर

उपरोक्तानुसार गठित दल से भविष्य में Within 5 Year के अतर्गत संधारित वह मार्ग जिनकी पूर्णता दिनांक के उपरांत चार वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है एवं भारी वाहनों के परिवहन के कारण कस्ट उन्नयन किया जाना आवश्यक है, ऐसे मार्गों का निरीक्षण उपरोक्तानुसार गठित दल से किये जाने के उपरान्त ही प्रकरण मुख्यालय को प्रस्तुत किये जावे।

(नीतेश व्यास)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

// 2 //

क्र. 13846 /22/वि-12/ग्रासप्रा/Maint/M-2/1255/18

भोपाल, दिनांक 27/06/2018

प्रति

समस्त मुख्य महाप्रबंधक को म. प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Ph 16
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल